

तेल क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2024

प्रलिस के लयः

राजसभा, हाइड्रोकारबन, हीलयम, कच्चा तेल और प्राकृतक गैस, पेट्रोलयम और प्राकृतक गैस बोर्ड वनियामक बोर्ड

मेन्स के लयः

तेल क्षेत्र (वनियमन और वकिस) संशोधन अधिनियम 2024, खनजि तेल नषिकरण में वनियमन, भारत की ऊरजा नीतयिँ।

[स्रोत: इंडयन एक्सप्रेस](#)

चरचा में क्योँ?

हाल ही में तेल क्षेत्र (वनियमन और वकिस) संशोधन अधिनियम, 2024 को [राजसभा](#) द्वारा पारति कया गया, जसका उद्देश्य नज़ी नवश को आकर्षति करते हुए पेट्रोलयम एवं खनजि तेलों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहति करना है।

- इस अधिनियम का उद्देश्य तेल उत्पादन के प्रशासन को खनन गतिविधयिँ से स्पष्ट रूप से अलग करके मौजूदा तेल क्षेत्र अधिनियम 1948 में संशोधन करना है।

तेल क्षेत्र संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- खनजि तेल की परभाषा:** अधिनियम खनजि तेलों की परभाषा को व्यापक बनाता है, जसमें प्राकृतक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकारबन (जैसे पेट्रोलयम और प्राकृतक गैस) के साथ-साथ कोल बेड मीथेन और शेल गैस/तेल को भी शामिल कया गया है।
 - इस परभाषा में कोयला, [लगनाइट](#) और [हीलयम](#) को वशिष रूप से शामिल नहीं कया गया है, संभवतः इसका कारण खान और खनजि (वकिस और वनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत उनका वनियमन है।
- पेट्रोलयम लीज़:** अधिनियम “माइनिंग लीज़” शब्द के स्थान पर “पेट्रोलयम लीज़” शब्द का प्रयोग करता है, जो खनजि तेलों की खोज, उत्पादन और नपिटान जैसी गतिविधयिँ को नयंत्रति करेगा।
 - तेल क्षेत्र अधिनियम, 1948 के तहत दयि गए मौजूदा माइनिंग लीज़/खनन पट्टे वैध रहेंगे और उनमें कोई परिवर्तन नहीं कया जाएगा।
- उल्लंघन के लयि दंड:** तेल क्षेत्र अधिनियम, 1948 के तहत उल्लंघन के परिणामस्वरूप छह माह तक का कारावास, 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- नवीन अधिनियम तेल क्षेत्र अधिनियम के उल्लंघन हेतु आपराधिक दंड के स्थान पर वत्तीय दंड का प्रावधान करता है, जससे अधिकतम जुर्माना राश 25 लाख रुपए हो जाती है, तथा नरंतर उल्लंघन के लयि 10 लाख रुपए तक का अतिरिक्त दैनिक जुर्माना भी लगाया जाता है।**
- नज़ी नवश को प्रोत्साहन:** अधिनियम में पेट्रोलयम उत्पादन में नज़ी नवश को आकर्षति करने के उपाय शामिल हैं, तथा यह स्पष्ट कया गया है कि मौजूदा खनन पट्टे, पट्टेधारकों को कसी प्रकार का नुकसान पहुँचाए बगैर वैध बने रहेंगे।
- केंद्र सरकार की नयिम बनाने की शक्तयिँ:** अधिनियम में केंद्र सरकार को वभिन्न पहलुओं पर नयिम बनाने की शक्ति बरकरार रखी गई है, जसमें पट्टे प्रदान करना और उनका वनियमन करना, नयिम और शर्तें नरिधारति करना (जैसे पट्टे का क्षेत्र और अवधि), खनजि तेलों का संरक्षण और वकिस, तथा रॉयल्टी के संग्रह के साथ-साथ तेल उत्पादन के तरीके शामिल हैं।
- इसके अलावा, अधिनियम केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर पेट्रोलयम पट्टों का समेकन, सुवधि साझाकरण, प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को संरक्षति करने के लयि पट्टाधारकों की ज़मिंदारयिँ, तथा पेट्रोलयम पट्टा पुरस्कारों के लयि वैकल्पक वविद समाधान प्रकरयिँ शामिल करता है।**
- दंड का नरिणय:** केंद्र सरकार दंड का नरिणय करने के लयि संयुक्त सचवि स्तर या उससे उच्च स्तर के अधिकारी की नयुक्ति करेगी।
 - न्यायनरिणायक प्राधिकरण के नरिणयों के वरिद्ध अपील [पेट्रोलयम एवं प्राकृतक गैस बोर्ड वनियामक बोर्ड \(PNGRB\) अधिनियम, 2006](#) में नरिदषिट अपीलय न्यायाधिकरण में की जाएगी।
 - PNGRB अधिनियम, 2006 के अनुसार, PNGRB के नरिणयों के वरिद्ध अपील वदियुत अपीलय न्यायाधिकरण के समक्ष की जानी है, जसका गठन [वदियुत अधिनियम, 2003](#) के अंतर्गत कया गया है।

उत्तर: (a)

प्रश्न. जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जैव ईंधन के उत्पादन के लिये नमिनलखिति में से कसिका उपयोग कच्चे माल के रूप में कथिया जा सकता है? (2020)

1. कसावा
2. कषतगिरस्त गेहूँ के दाने
3. मूँगफली के बीज
4. चने की दाल
5. सड़े हुए आलू
6. मीठे चुकंदर

नीचे दथि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनथि:

- (a) केवल 1, 2, 5 और 6
- (b) केवल 1, 3, 4 और 6
- (c) केवल 2, 3, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/oilfields-amendment-bill-2024>

